

‘चाहे आप रिटायर हो जाएं या घर बैठ जाएं, हम आपको बख्शेंगे नहीं’

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को सार्वजनिक धमकी दी

-रेणु मिश्र-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1, अगस्त। एक तीखे बयान में, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह भाजपा के लिए वोट चुरा रहा है।

इसे देशद्रोह करार देते हुए, राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई जांच और सामने आए खुलासे एक “परमाणु बम” की तरह फटेंगे और इन धमकों के असर में चुनाव आयोग कहीं भी दिखाई नहीं देगा।

इसी के साथ, उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्दों में यह चेतावनी जारी की कि चुनाव आयोग में ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी भाजपा के लिए वोट चोरी में शामिल पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह देश के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के समान है। उन्होंने कहा, “आप कहीं भी हों, सेवानिवृत्त हों या न हों, हम आपको दूध निकालेंगे।”

■ राहुल ने कहा, आपने मतदाता सूचियों से नाम काटने का अगर काम किया है तो वह देशद्रोह के समान है और इसे माफ नहीं किया जा सकता।

■ राहुल ने इस संदर्भ में आगे कहा कि “वोटों की चोरी” को पकड़ने में चुनाव आयोग ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया, अतः हमने हमारे साधनों से गत छः महीने में जाँच की है, वोटों की चोरी के प्रकरण की तथा जो जानकारी हमें मिली है, वह विस्फोटक है, “एटम बम” की तरह, और वह धमका चुनाव आयोग को खत्म कर देगा।

■ राहुल ने कहा कि यह विस्फोटक जानकारी पूरी तरह संजोकर, एक सप्ताह में अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान उजागर करेंगे।

■ चुनाव आयोग ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी के आरोप आधारहीन व गैरजिम्मेदाराना हैं। अतः चुनाव आयोग के अधिकारी राहुल गांधी के वक्तव्य को तवज्जो नहीं दें तथा जायज़ व पारदर्शी तरीके से अपना काम करते रहें।

विपक्ष के नेता ने कहा कि उनकी पार्टी को शुरू में मध्य प्रदेश में संदेह हुआ था, और महाराष्ट्र में यह और पुष्टा

आयोग ने हमारा समर्थन या सहयोग नहीं किया, इसलिए हमने खुद के स्तर पर जाँच की। जो हमें मिला, वह एक परमाणु बम की तरह है; एक बार जब यह फट जाएगा, तो चुनाव आयोग कहीं भी दिखाई नहीं देगा।”

गांधी ने कहा कि पार्टी ने गहराई और बारीकी से जाँच की। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को पूरे विस्तृत विवरण तक पहुँचने में लगभग छह महीने लगे, और निष्कर्षों का खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग किस तरह भाजपा के पक्ष में वोटों का हेरफेर कर रहा है।

इस तरह के तीखे हमले के बाद, बचाव की मुद्रा में आए चुनाव आयोग के पास प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को “आधारहीन” और “गैर-जिम्मेदाराना” कहकर खारिज कर दिया। आयोग ने एक बयान में कहा, “दैनिक धमकियों और आधारहीन आरोपों के बावजूद, आयोग सभी चुनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘एसटी वर्ग की बेटियों को समान अधिकार से वंचित रखना अनुचित’

जयपुर, 1 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसटी वर्ग की महिला के पैतृक संपत्ति में अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि आजादी के सात दशक बाद भी एसटी समुदाय की बेटियों को समान अधिकारों से वंचित करना अनुचित है। ऐसे में यह जरूरी है कि भारत सरकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के प्रावधानों की समीक्षा करे

■ हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार से, जरूरत हो तो कानून में संशोधन करने को कहा।

और यदि जरूरत हो तो प्रावधानों में संशोधन करे। अदालत ने आशा जताई है कि केन्द्र सरकार इस मामले में विचार करेगी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कमला नेती के मामले में निर्देश के आधार पर उचित निर्णय लेगी। जस्टिस अनूप कुमार डंड की एकलपीठ ने ये आदेश मंत्री देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वहीं, अदालत ने याचिकाकर्ता से जुड़े मामले में प्रतिवादी पक्ष की ओर से सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश अर्जों को खारिज करते हुए एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि वे दो साल में लॉबिड वाद का निस्तारण करें।

अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान के प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अन्य देशों को अब अमेरिका की महँगाई का भार वहन करना पड़ेगा’

ट्रंप का दावा काफी गलत साबित हुआ
टैरिफ बढ़ाने के बारे में

-अंजन रॉय-
अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

वाशिंगटन, 1 अगस्त। अमेरिका में 1 अगस्त का दिन है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नए शुल्क प्रभावी हो रहे हैं, ऐसे में अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक नई सच्चाई से हतप्रभ नज़र आ रहा है।

शेयरों में व्यापक गिरावट आई है और नए आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है।

अभी जारी किए गए जुलाई के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में केवल 73,000 नई नौकरियाँ जोड़ी गईं, जो अब तक की सबसे कम हैं। नई नौकरियों का सुजन, जो अर्थव्यवस्था की गति का एक प्रमुख पैमाना है, कुछ हद तक धीमा हो रहा था और अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं।

अमेरिका आमूलचूल परिवर्तन की नई वास्तविकता के प्रति जाग रहा है। एक मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार का गढ़ रहा अमेरिका अब एक संरक्षणवादी (प्रोटैक्शनिस्ट)

■ अमेरिकावासियों को अब महँगी पड़ने लगीं वो वस्तुएँ, जो वो सदा से आसानी से सस्ते दामों में खरीदने के आदी हो गये थे।

■ उदाहरण के लिए, फ्रांस व जर्मनी की वाइन्स व स्विटज़रलैंड की लम्जरी घड़ियाँ।

■ अमेरिका की इकॉनमी भी “स्लोडाउन” के दौर में फँसती जा रही है। उदाहरण के लिए, जुलाई माह के आंकड़ों के अनुसार, केवल 73,000 नये रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जो कई दशकों में सबसे कम है।

■ भारत में निर्मित सामान लगभग गायब ही हो जाएगा, अमेरिका के मार्केट में। क्योंकि 25 प्रतिशत का टैरिफ व ऊपर से रूस से ऑयल खरीदने के कारण लगी पेनल्टी के कारण भारत का माल अन्य देशों की तुलना में महँगा हो जायेगा।

अर्थव्यवस्था की ओर रुख कर रहा है। इसने न केवल अमेरिका के करीबी सहयोगियों को निराश किया है, बल्कि आम अमेरिकियों को भी निराश कर रहा है।

देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी, के विपरीत यह एहसास हो रहा है कि अमेरिका के लोगों को उन कई उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करना होगा, जिनकी उन्हें आदत है। बेशक, इस मार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोमवार, बुधवार व गुरुवार को “इन्टर्न्स एंट्री” वर्जित होगी सुप्रीम कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट में यह नई व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आग्रह पर की गई है

-जाल खंभाता-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कानून के इन्टर्न्स को सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम में प्रवेश से रोक दिया है, जो कि विविध मामलों की सुनवाई के दिन होते हैं।

यह कदम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध के बाद उठाया गया है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया, “सक्षम अधिकारियों ने विविध प्रकार के केसों की सुनवाई के दिनों में, यानी बुधवार और गुरुवार को कोर्ट परिसर और गलियारों में जाने की अनुमति होगी।

बार एसोसिएशन ने पहले भी कोर्ट को एक पत्र लिखकर कानून के इन्टर्न्स को स्वीकार कर लिया है।”

कानून के इन्टर्न्स को नियमित सुनवाई के दिनों, यानी बुधवार और गुरुवार को कोर्ट परिसर और गलियारों में जाने की अनुमति होगी। बार एसोसिएशन ने पहले भी कोर्ट को एक पत्र लिखकर कानून के इन्टर्न्स को स्वीकार कर लिया है।”

■ वरिष्ठ व प्रैक्टिसिंग वकीलों की शिकायत थी कि “इन्टर्न्स” की भारी भीड़ के कारण वकीलों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाने में भी दिक्कत हो रही थी।

■ साथ ही इन प्रशिक्षु इन्टर्न्स की उपस्थिति के कारण न्यायालय में सभी सीटों भर जाती थीं तथा इन्टर्न्स आग्रह करने के बाद भी इन सीटों को खाली करने को तैयार नहीं होते थे तथा प्रैक्टिसिंग वकीलों को काफी समय खड़ा रहना पड़ता था।

पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था, जिसमें कोर्ट के अंदर भीड़भाड़ का हवाला दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था, “यह देखा गया है कि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अरुण चतुर्वेदी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने



अरुण चतुर्वेदी

जयपुर। प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने बड़ी

■ आने वाले दिनों में और राजनैतिक नियुक्तियों होने की संभावना है।

राजनीतिक नियुक्ति की है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है।

अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही और राजनैतिक नियुक्तियां होने की संभावना है। इसमें प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल होने की संभावना है।

1974 से चला आ रहा, 75 बीघा जमीन की अवाप्ति का मामला अब निपटा

अदालत ने जे.एल.एन. मार्ग पर स्थित उक्त भूमि पर मूल पक्षकार के वंशजों का दावा खारिज किया और कहा कि राज्य सरकार ही भूमि का मालिकाना हक रखती है

■ मूल पक्षकार के वंशजों को 1990 में सिविल जज ने राहत देते हुए आदेश दिये थे कि राज्य सरकार उक्त भूमि अवाप्त किये जाने की एवज में पक्षकारों को प्रति बीघा 40,000 रुपये तथा 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति और 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करे।

■ अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर उक्त आदेश को रद्द कर दिया और यह भी आदेश दिए हैं कि यदि उक्त भूमि को अवाप्त करने और कब्जा लेने की प्रक्रिया में कोई आड़े आता है तो राज्य सरकार उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ अपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकती है।

रु. प्रति बीघा पर किराये पर दी थी।

इस मामले के जिरह के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि बृजमोहन के निधन के बाद 1, नवम्बर, 1958 को सरकार ने सार्वजनिक कार्यों के लिए ले लिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में मूल पक्षकार त्रिलोकी नाथ साहनी ने 1960 में राजस्व के विभाग के सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष उक्त भूमि के सवाईचक घोषित किये जाने के खिलाफ आवेदन दायर किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि तहसीलदार ने

त्रिलोकीनाथ को घुसपैठिए नहीं मानते हुए, और माफीदार के पट्टे के साथ एक उक्त जमीन पर किरायेदार घोषित कर दिया, हालाँकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को राज्य सरकार के अपील पर खारिज कर दिया था, और अपीलेट अदालतों ने भी कलेक्टर के आदेश को सही माना।

विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि वर्ष 1979 में हाईकोर्ट की एक खण्डपीठ ने आदेश पारित करें जिसके तहत सरकार को आदेश दिये गये थे, कि त्रिलोकीनाथ जिस भूमि के कब्जे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

निर्णय ली। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भर्ती रह नहीं करने का निर्णय लेने के आधार पर ही याचिका सारहीन नहीं हो जाती है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं और वह याचिका में की गई प्रार्थना से भी आगे बढ़कर फैसला दे सकता है। एसओजी की रिपोर्ट मिलने के स्रोत नहीं बताते की राज्य सरकार की आपत्ति पर याचिकाकर्ता ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दस्तावेज कहाँ से मिले, वे सही हैं या नहीं, यह महत्व रखता है। यदि दस्तावेज सही हैं तो हाईकोर्ट को जर्नलित में उन पर संज्ञान लेना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी करने के बाद, अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।

■ याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अपनी बहस पूरी की।